भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1930

उत्तर देने की तारीख: 15.12.2021

कोविड के कारण अधिगम संबंधी नुकसान

1930 श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा संबंधी स्थायी समिति के अगस्त, 2021 के प्रतिवेदन में कोविड - 19 के कारण समग्र अधिगम संबंधी नुकसान का अनुमान लगाने के लिए एक व्यापक आकलन कराने का सुझाव दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो मंत्रालय द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या मंत्रालय ने निजी कोचिंग सेंटरों/ऑनलाइन शिक्षण मंचों द्वारा स्थिति का फायदा उठाकर गरीब छात्रों का अनुचित रूप से शोषण करने के मामलों को चिह्नित किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो क्रमशः निजी कोचिंग सेंटर क्षेत्र और ऑनलाइन शिक्षण मंचों को विनियमित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने की योजना बनाई जा रही है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) और (ख): जी हाँ, रिपोर्ट में इसकी अनुशंसा की गई है। सैंपल के लिए चुने गए ग्रेड 3, 5, 8 और 10 के बच्चों के अधिगम स्तर का आकलन करने के लिए दिनांक 12.11.2021 को देश के 717 जिलों में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) आयोजित किया गया था। इसके अलावा, विभाग ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 01.02.2021 के पत्र के माध्यम से डिजिटल उपकरणों तक

पहुंच वाले और बिना पहुंच वाले बच्चों का सर्वेक्षण करने की सलाह दी। विभाग द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) और नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) के स्कूलों के लिए जुलाई, 2020 के महीने में एक नमूना सर्वेक्षण किया गया। तत्पश्चात, बच्चों के पास विभिन्न प्रकार के डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता के संबंध में 2020-21 की शुरुआत में और सर्वेक्षण किए गए। एनवीएस ने 92.95% और केवीएस के 98% से अधिक छात्रों के पास किसी डिजिटल डिवाइस तक पूर्ण या आंशिक पहुंच होने की सूचना दी है। तदनुसार, स्कूली शिक्षा पर कोविड महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए शिक्षा मंत्रालय, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विभिन्न पहल की गईं। इन पहलों पर एक विस्तृत रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर निम्न लिंक पर देखी जा सकती है: https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/update/covid_initiatives.pdf

(ग) और (घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में होने के कारण, अधिकांश स्कूल और कॉलेज संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के अधीन हैं। निजी कोचिंग केंद्रों/ऑनलाइन शिक्षक प्लेटफार्मों के नियमन का विषय संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के दायरे में आता है। हालांकि, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने छात्रों में सुरक्षित और स्वस्थ डिजिटल आदतों को सुनिश्चित करने के लिए एक 'साइबर सुरक्षा हैंडबुक' लॉन्च की है। इस मॉड्यूल में साइबर सुरक्षा के विषय शामिल हैं, जैसे साइबर बुलिंग, जिसमें सामाजिक बहिष्कार, धमकी, मानहानि, और भावनात्मक उत्पीड़न, ऑनलाइन यौन शोषण, साइबर कट्टरता, ऑनलाइन हमला और धोखाधड़ी, और ऑनलाइन प्रलोभन शामिल हैं। 'साइबर सुरक्षा पुस्तिका' को इस लिंक पर देखा जा सकता है: http://cbseacademic.nic.in/web_material/Manuals/Cyber_Safety_Manual.pdf.

इसके अलावा, इस विभाग द्वारा डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशानिर्देश जारी किए गए थे, जो वर्तमान में स्कूलों के बंद होने के कारण घर पर रहने वाले छात्रों के लिए ऑनलाइन/मिश्रित/डिजिटल शिक्षा के लिए कार्यप्रणाली, समय व्यतीत करने आदि पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दिशानिर्देश एर्गोनॉमिक्स और साइबर सुरक्षा के संबंध में पर्याप्त क्या करें और क्या न करें प्रदान करते हैं। दिशानिर्देश यहां उपलब्ध हैं:

https://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/pragyata-guidelines_0.pdf

*****